न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–73/2017–18 राज्य बनाम मो0 मोजाहीर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2410/ही0शा0, दिनांक 31.07.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत खगड़िया मुफसिल थाना कांड संख्या–399/2017 दिनांक 08..6.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री अशोक कुमार सिह द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक काला रंग का पैशन प्रो मोटर साईकिल वाहन नं0–BR-34H.5189 पर एक उजला रंग के प्लास्टिक के बोरा में देशी शराब का 200 एम0एल0 का 100 (एक सौ) पाउच जिस पर प्रत्येक पाउच पर झारखंड लिखा हुआ देशी शराब बरामद किया गया है। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना कि गंगौर के तरफ से एक काला एवं ब्लू रंग के पैशन प्रो मोटरसाईकिल नं0 बीआर0–34 एच 5189 जिस पर दो व्यक्ति सवार होकर बीच में मोटर साईकिल पर एक उजला रंग का बोरा रखा है जिसमें अवैध शराब रखा है, जो खगड़िया की तरफ जा रहा है। सशस्त्र बल के सहयोग से आहोक मोड़ के पास पहुँचकर वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल गंगौर के तरफ से आते दिखा तथा पुलिस बल को देखकर मोटरसाईकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से धर कर पकड़ लिया गया। मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति सवार थे जिसका नाम पता पुछने पर क्रमशः मो0 मंजर पे0 मो0 मोजाहीद 2. मोटरसाईकिल के पीछे बोरा लेकर बैठा मो0 हातिम पे0 मो0 तहुर दोनों सा0–कुतुवपुर, थाना–मुफसिल, जिला–खगडिया बताये। तब तक अलग बगल के लोग जमा हो गये। तलाशी के क्रम में मोटर साईकिल पर रखे उजला रंग के बोरा का तलाशी लिया गया तो बोरा में 100 पीस देशी शराब का पाउच 200 एम0एल0 का बरामद किया गया, जिस पर झारखंड उत्पाद लिखा हुआ पाया गया।	

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

मो0 मोजाहीर पिता मो0–मुशरफ ग्राम कुतुबपुर पो0–मथुरापुर थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया को डी0बी0नं0 296 दिनांक 07.9.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0नं0 295/विधि, दिनांक 07.0917 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया।

डी0बी0नं0–234/विधि, दिनांक 09.08.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी ।

जिला परिवहन पदाधिकारी,खगड़िया ने अपने पत्रांक 1146/ परि0 दिनांक 17.08.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या–BR34H 5189 चेचिस नं0–MBLHA10EWCGDO7874 इंजन नं0–HA10EDCGD35657 मोडल पास प्रो वाहन का निबंधन मो0 मुजाहीर पता– कुतुबपूर पो0–मथुरापुर, थाना–मुफसिल , जिला –खगड़िया के नाम से निबंधित है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि उनके पुत्र मो0 मंजर उनके अनुमति से संबंधी के यहाँ जरूरी कार्य से गया था और वाहन से घर लौट रहा था तो रास्ते में उक्त कांड के घटना स्थल पर संध्या गश्ती करती हुई पुलिस ने रोका लिया और पुलिस के द्वारा गाड़ी के कागजात के जाँचोपरान्त रूपया की मांग किया जिस पर विपक्षी के पुत्र ने रसीद का मांग किया तो पुलिस ने मोकदमा में मो0 मंजर को फॅसा दिया। जब्त वाहन के द्वारा किसी भी प्रकार से घटना का अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि झूठा मोकदमा में उनके वाहन और उनके पुत्र को फॅसा दिया गया। उनके द्वारा जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2410/हि0शा, दिनांक 31. 07.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 मुफसिल थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या–BR34H 5189 चेचिस नं0–MBLHA10EWCGDO7874 इंजन नं0–HA10EDCGD35657 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि सदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में

शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके वाहन से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या–BR34H 5189 चेचिस नं0–MBLHA10EWCGDO7874 इंजन नं0–HA10EDCGD35657 है जो जप्त कर मुफ्फसिल थाना में रखा हुआ है, को बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. .जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या–BR34H 5189 चेचिस नं0–MBLHA10EWCGDO787 इंजन नं0–HA10EDCGD35657 का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
1	डी0 बी0 नं0 447 /विधि, दिनांक 27/11/2017 प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 27/11/17	